

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल दिनांक 18-7-2018

क्र./एफ 44-13/17/20-2

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
4. समस्त प्राचार्य हाई/हायर सेकेंडरी स्कूल
मध्यप्रदेश।

विषय- शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था।


- संदर्भ- 1 म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र./एफ 44-13/17/20-2 भोपाल दि. 07.07.2018.
2 म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र./एफ 44-13/17/20-2 भोपाल दि. 13.07.2018.

कृपया संदर्भित पत्र-2 का अवलोकन करें। इस पत्र के माध्यम से जारी समय-सारिणी में हाई/हायर सेकेंडरी स्कूल में च्वाइस फिलिंग की अंतिम तिथि 18/07/2018 से बढ़ाकर 23/07/2018 की जाती है। संशोधित तिथियां निम्नानुसार होगी :-

हाई/हायर सेकेंडरी स्कूल :-

क्र	गतिविधि	तिथि	संशोधित तिथि
1	आवेदक द्वारा विद्यालय का चयन (Choice Filling)	18 जुलाई	23 जुलाई
2	विद्यालय विषयवार पैनल जनरेशन	19 जुलाई	24 जुलाई
3	विद्यालय स्तर पर PTA द्वारा पैनल तैयार कर अनुमोदन प्राप्त करना।	20 जुलाई	25 जुलाई
4	पैनल में शामिल आवेदक द्वारा विद्यालय में अपनी सहमति देना	21-22 जुलाई	25-26 जुलाई तक
5	पैनल के गुणानुक्रम से आवेदकों द्वारा विद्यालय में उपस्थिति	22 जुलाई	26 जुलाई
6	संकुल प्राचार्य द्वारा जानकारी को पोर्टल में दर्ज करना।	24 जुलाई तक	28 जुलाई तक

शेष निर्देश यथावत रहेंगे।


(प्रमोद सिंह) 18/7/18


उप सचिव

स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल दिनांक 18-7-2018

पृ एफ 44-13/17/20-2

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन।
2. आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. कलेक्टर समस्त जिले।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।
6. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. भोपाल।


18/7/18

उप सचिव

स्कूल शिक्षा विभाग

//लेखीराम//